

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +2413

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

अतुल्य भारत-3.0 अभियान की शुरुआत

+2413. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का कोविड-19 संकट के बाद भारत में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े हुए प्रोत्साहन के साथ अतुल्य भारत-3.0 अभियान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
- (ख) वर्ष 2010 से 2021 तक विश्व स्तर पर 'अतुल्य भारत' अभियान को बढ़ावा देने में सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों के आगमन और विदेशी मुद्रा की आय के संदर्भ में किए गए खर्च और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की विदेश में स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालय को पूरी तरह से बंद करने और पर्यटन-प्रोत्साहनों को भारतीय मिशनों में अलग से किसी अधिकारी को सौंपने की कोई योजना है; और
- (घ) यदि हां, तो विदेशों में बंद पर्यटन कार्यालयों का देश-वार ब्यौरा क्या है और भारतीय मिशनों को इसका उत्तरदायित्व सौंपने की स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा भारतीय पर्यटन कार्यालय में रिक्त पड़े पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी नहीं, महोदय। वर्तमान में अतुल्य भारत 3.0 अभियान शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने सितंबर, 2017 में "अतुल्य भारत 2.0" अभियान शुरू किया है, जो भारत और विदेशों में सामान्य प्रचार से बाजार विशिष्ट प्रचार योजनाओं और सामग्री निर्माण में परिवर्तन का एक प्रतीक है। अभियान में भारतीय पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बाजारों को भी शामिल किया गया है और महत्वपूर्ण संभावनाओं वाले उभरते बाजारों को भी ध्यान में रखा गया है। अभियान का फोकस जन पहुंच पोर्टलों, विशिष्ट शैलियों और सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से बढ़ी हुई पहुंच के कारण डिजिटल उपस्थिति को बढ़ाने पर है। अभियान के हिस्से के रूप में विषयगत टेलीविजन विज्ञापनों और रचनात्मकता का निर्माण किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति, कम ज्ञात स्थलों, स्थानीय गंतव्यों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जनवरी 2020 में देखो अपना देश पहल शुरू की है।

इस पहल के तहत मंत्रालय कम ज्ञात स्थलों, विरासत, संस्कृति, कल्याण, स्थानीय पर्यटन स्थलों आदि सहित देश और इसके पर्यटन स्थलों/ उत्पादों के बारे में जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वेबिनार, ऑनलाइन प्रतिज्ञा और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जैसी प्रचार गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। देखो अपना देश पहल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मंत्रालय की वेबसाइट और घरेलू भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा भी व्यापक रूप से प्रचारित किया जा रहा है।

पर्यटन मंत्रालय भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है और अपनी चल रही गतिविधियों के हिस्से के रूप में, विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है। मंत्रालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है।

भारतीय होटल उद्योग को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा घोषित वित्तीय और राहत उपाय अनुबंध-I में दिए गये हैं।

(ख): वर्ष 2010-2021 से विश्व स्तर पर अतुल्य भारत अभियान को बढ़ावा देने में सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों के आगमन और विदेशी मुद्रा आय के संदर्भ में लागत और उपलब्धियों का **विवरण अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) से (घ): वर्ष 2018 में विदेशों में स्थित भारतपर्यटन कार्यालयों (आईटीओ) का पुनर्गठन करने से, विदेशों में भारतपर्यटन कार्यालयों की संख्या 14 से घटाकर 8 कर दी गई थी। इन कार्यालयों को बंद करने और इन देशों के भारतीय मिशनों को पर्यटन प्रोत्साहन सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है। निम्नलिखित भारतीय पर्यटन कार्यालय पूर्वोक्त पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बंद कर दिए गए हैं:-

देश	बंद कार्यालय
अमेरीका	आईटीओ, लॉस एंजिल्स
कनाडा	आईटीओ, टोरंटो
नीदरलैंड	आईटीओ, एम्स्टर्डम
इटली	आईटीओ, मिलान
ऑस्ट्रेलिया	आईटीओ, सिडनी
दक्षिण अफ्रीका	आईटीओ, जोहान्सबर्ग

विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों में रिक्तियों को भरने के संबंध में, उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है।

अतुल्य भारत-3.0 अभियान की शुरुआत के सम्बन्ध में दिनांक 13.12.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +2413 के भाग (क) के उत्तर में विवरण

भारतीय होटल उद्योग को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा घोषित किये गए वित्तीय एवं राहत उपाय निम्नानुसार हैं:-

- i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने का ऋण-स्थगन होगी।
- ii. सरकार ने 100 से कम कर्मिकों वाले और जिनके 90 % कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।
- iii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12 % से घटाकर प्रत्येक के लिए 10 % कर दिया गया है।
- iv. स्रोत पर कर एकत्रण (टीसीएस) को अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
- v. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगित, बाकी पर 9 % की दर से दंडात्मक ब्याज।
- vi. भारतीय रिजर्व बैंक ने आवधिक ऋण पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है।
- vii. केंद्र सरकार ने भी व्यापार निरंतरता और उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 महामारी के संकट के मद्देनजर अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत दी।
- viii. वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) को लागू करने के लिए धन का उपयुक्त प्रावधान अब वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है।
- ix. भारत सरकार ने पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की है।
- x. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 की शुरुआत के साथ आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। यह योजना 31.03.2021 तक वैध है।

xi. योजना के अन्तर्गत जारी गारंटियों का विवरण निम्नानुसार है:-

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर्यटन और आतिथ्य योजना के अनुसार 30.09.2021 तक के आंकड़े			
उद्योग की प्रकृति	इसके तहत सहायता	जारी की गई गारंटी की संख्या	योजना के तहत स्वीकृत ऋण के मद में जारी गारंटियों की राशि (करोड़ रु में)
यात्रा और पर्यटन	ईसीएलजीएस 3.0	2,732	1,371.62
आतिथ्य	ईसीएलजीएस 3.0	3,160	5,430.96
होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन	ईसीएलजीएस 2.0	218	3,403.90
पर्यटन, होटल एवं रेस्टोरेंट	ईसीएलजीएस 1.0	96,219	3559.43
कुल		1,02,329	13,765.91

- xii. ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 30.06.2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30.09.2021 तक बढ़ा दी गई है।
- xiii. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को एसईआईएस स्क्रिप जारी करने की घोषणा की।
- xiv. पर्यटन मंत्रालय ने "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएसएस) के लिए ऋण गारंटी योजना" लागू करने की घोषणा की है। इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड और राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारक शामिल होंगे। टीटीएस 10.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे जबकि प्रत्येक पर्यटक गाइड 1.00 लाख रुपये तक का ऋण ले सकता है। कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा, फोरक्लोज़र/पूर्व भुगतान शुल्क में छूट और अतिरिक्त संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा एनसीजीटीसी के माध्यम से योजना संचालित की जाएगी।
- xv. पहले 5 लाख तक मुफ्त पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार, वीजा जारी होने के बाद, पहले पांच लाख पर्यटक वीजा मुफ्त में जारी किए जाएंगे। पहले पांच लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार निःशुल्क वीजा का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 मार्च 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी।
- xvi. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को एसईआईएस स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है। इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लिए एसईआईएस जारी रखने के

वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है कि राशि एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

- xvii. अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के माध्यम से, "प्रदर्शन-सह-सम्मेलन केंद्र" को एक फुटनोट के साथ, प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र को परिभाषित करते हुए, "सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना" की श्रेणी में एक नई वस्तु को सम्मिलित करके अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया है।
- xviii. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास और रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।
- xix. 12 नवंबर 2020 को, सरकार ने कोविड -19 रिकवरी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
- xx. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।
- xxi. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।
- xxii. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए "साथी" (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।
- xxiii. इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 08.12.2020 को पर्यटन सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं जो जनवरी, 2021 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीनशूट/स्टार्ट-अप एजेंसियों की श्रेणी पहली बार शुरू की जा रही है। स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए यह सरकार की नीति के अनुरूप है और यह 'आत्मनिर्भर भारत' की नीति को भी आगे बढ़ाएगा।
- xxiv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है।

- xxv. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार बड़े पैमाने पर घरेलू पर्यटन द्वारा किया जाएगा, मंत्रालय ने "देखो अपना देश" के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला की व्यवस्था शुरू की। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और साथ ही हितधारकों, छात्रों और आम जनता के बीच रुचि बनाए रखना है।
- xxvi. होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणीकरण की वैधता, जिनका परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने वाला है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
- xxvii. पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रेवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों की मान्यता को स्वचालित रूप से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए आवेदन जमा किए हैं, उन्हें आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने तक छह महीने के लिए अनंतिम मान्यता दी गई है।
- xxviii. विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

अनुबंध-II

अतुल्य भारत-3.0 अभियान की शुरुआत के सम्बन्ध में दिनांक 13.12.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +2413 के भाग (ख) के उत्तर में विवरण

वर्ष 2010-2021 से विश्व स्तर पर अतुल्य भारत अभियान को बढ़ावा देने में सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों के आगमन और विदेशी मुद्रा आय के संदर्भ में लागत और उपलब्धियों

विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए), 2010-2021

वर्ष	भारत में एफटीए(मिलियन में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत (%) परिवर्तन
2010	5.78	11.8
2011	6.31	9.2
2012	6.58	4.3
2013	6.97	5.9
2014	7.68	10.2
2015	8.03	4.5
2016	8.80	9.7
2017	10.04	14.0
2018	10.56	5.2
2019	10.93	3.5
2020	2.74	-74.9
2021 (जनवरी-अक्टूबर) (अ)	0.86	-66.9 *

अ: अनंतिम

*: पिछले वर्ष के जनवरी-अक्टूबर की तुलना में विकास दर।

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो, भारत सरकार।

2010-2020 के दौरान भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (एफईई)

वर्ष	रु में एफईई	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत (%) परिवर्तन	डॉलर में एफईई (मिलियन में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत (%) परिवर्तन
2010	66172	23.1	14490	30.1
2011	83036	25.5	17707	22.2
2012	95607	15.1	17971	1.5
2013	107563	12.5	18397	2.4
2014	120367	11.9	19700	7.1
2015	134844	12.0	21013	6.7
2016 #²	154146	14.3	22923	9.1

2017#²	177874	15.4	27310	19.1
2018#²	194881	9.6	28586	4.7
2019#²	211661	8.6	30058	5.1
2020#²	50136	-76.3	6958	-76.9

#2संशोधित अनुमान

महामारी वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय (एफईई) की गणना के लिए वर्तमान पद्धति की अनुपयुक्तता के कारण, पर्यटन मंत्रालय ने **2021** के लिए एफईई का अनुमान नहीं लगाया था।

2010-2021 तक बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्द्धन एवं प्रचार' (ओपीएमडी) योजना

वर्ष	व्यय
2010-11	249.02
2011-12	243.06
2012-13	182.83
2013-14	195.29
2014-15	166.36
2015-16	170.83
2016-17	192.24
2017-18	273.91
2018-19	415.00
2019-20	312.04
2020-2021	107.88
